vinetur

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शराब लाइसेंस व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग, धनी समुदायों में प्रति निवासी 58% अधिक लाइसेंस

रिपोर्ट के मुताबिक, 2.5 million निवासी ऐसे राज्य कोटे के दायरे में हैं जिनके चलते कारोबारियों को लाइसेंस खरीदने के लिए छह अंकों की रकम चुकानी पड़ सकती है।

बुधवार, 14 अक्टूबर 2026



मैसाचुसेट्स की राज्य लेखा परीक्षक Diana DiZoglio के कार्यालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर राज्य की शराब लाइसेंस व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की। रिपोर्ट में कहा गया कि 1933 में बनाए गए नियमों ने कृत्रिम कमी पैदा की है, कारोबारियों की लागत बढ़ाई है और शहरों तथा कस्बों के बीच लाइसेंस तक पहुंच में असमानता पैदा की है।

राज्य लेखा परीक्षक के स्थानीय अधिदेश प्रभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में इस बात की जांच की गई है कि मैसाचुसेट्स उन रेस्तरां, बार, होटलों और क्लबों को लाइसेंस कैसे देता है जो अपने परिसर में शराब परोसना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि आबादी पर आधारित राज्य कोटा प्रणाली कई नगरपालिकाओं द्वारा जारी किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या

सीमित करती है, भले ही नए कारोबारों की स्थानीय मांग मजबूत हो। रिपोर्ट के अनुसार, इसके चलते कुछ कारोबारियों को विधायी प्रक्रिया और निजी पुनर्विक्रय बाजार का सहारा लेना पड़ा है, जहां पैसे और राजनीतिक संपर्क रखने वाले आवेदकों को फायदा मिलता है।

राज्य लेखा परीक्षक के कार्यालय ने कहा कि 2.5 million निवासी ऐसी नगरपालिकाओं में रहते हैं जहां राज्य कोटा शराब लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी लगाता है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 1978 से 1984 के सीमित दौर में 26 नगरपालिकाओं को राज्य कोटा प्रणाली से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। इसके चलते मैसाचुसेट्स में, रिपोर्ट के शब्दों में, दो स्तरों वाली एक असमान व्यवस्था बनी, जिसमें कुछ समुदायों के पास स्थानीय नियंत्रण है और कुछ के पास नहीं।

DiZoglio ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था की जगह अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली लाई जानी चाहिए। रिपोर्ट के साथ जारी बयान में उन्होंने कहा कि लाइसेंस हासिल करने के लिए कारोबारियों को "पैसे तक असीमित पहुंच और सभी सही राजनीतिक संपर्कों" की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शराब के नियमन और आर्थिक अवसरों, दोनों को एक साथ बढ़ावा दे सकता है।

"License to Pour: Access and Equity in Massachusetts Liquor Licensing" शीर्षक वाली यह रिपोर्ट नगरपालिका लाइसेंस संबंधी आंकड़ों, 260 नगरपालिका अधिकारियों और कारोबारियों के सर्वेक्षण तथा लाइसेंसधारकों, स्थानीय अधिकारियों, विधायकों और उद्योग से जुड़े लोगों के साक्षात्कारों पर आधारित थी।

रिपोर्ट का एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि लाइसेंस हासिल करने की पहुंच स्थानीय संपन्नता के हिसाब से काफी अलग-अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे धनी नगरपालिकाएं सबसे कम धनी नगरपालिकाओं की तुलना में प्रति निवासी 58% अधिक लाइसेंस जारी करती हैं। इसमें यह भी कहा गया कि संपन्न समुदाय होम रूल याचिका प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त लाइसेंस हासिल करने में अधिक सफल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए कोई लिखित मानदंड नहीं हैं और इसका कोई पूर्ण, आसानी से उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

कोटा-प्रतिबंधित समुदायों में कारोबारियों के लिए वित्तीय बाधा काफी बड़ी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि कारोबारियों ने निजी द्वितीयक बाजार में लाइसेंस के लिए छह अंकों की रकम चुकाने की बात बताई—जिसमें Boston में करीब $600,000, Somerville में $175,000 और Beverly में $100,000 शामिल हैं। इसके उलट, स्थानीय नियंत्रण वाले Cambridge में लाइसेंस हासिल करने की लागत करीब $2,500 थी।

इस अंतर का उन रेस्तरां, बार, ब्रुअरी और आतिथ्य क्षेत्र के अन्य कारोबारों पर व्यापक असर पड़ सकता है जिनके कारोबारी मॉडल में शराब की बिक्री अहम भूमिका निभाती है। अगर विधायक कदम उठाते हैं, तो लाइसेंस हासिल करने की बाधाएं कम होने से नए प्रतिष्ठानों के लिए बाजार में प्रवेश करना और मौजूदा कारोबारियों के लिए विस्तार करना आसान हो सकता है। इससे बीयर, वाइन और स्पिरिट्स के कारोबार में मांग बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट का मुख्य ध्यान लाइसेंस और आर्थिक पहुंच पर था, लेकिन इसके निष्कर्ष पेय क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित व्यापक प्रभावों की ओर भी इशारा करते हैं, क्योंकि परिसर में शराब की बिक्री का रेस्तरां और बार क्षेत्र की वृद्धि से करीबी संबंध है।

राज्य लेखा परीक्षक के कार्यालय ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मैसाचुसेट्स में प्रति निवासी पूर्ण-सेवा रेस्तरां की संख्या कम है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर राज्य क्षेत्रीय औसत तक पहुंचता है, तो यहां 490 अतिरिक्त रेस्तरां, 9,500 नौकरियां, सालाना $311 million का वेतन और राज्य तथा स्थानीय भोजन करों से हर साल $56 million की आय संभव है।

रिपोर्ट में परिसर में शराब परोसने के लाइसेंसों पर राज्य द्वारा लगाए गए आबादी-आधारित कोटे को खत्म करने और इन फैसलों का नियंत्रण नगरपालिकाओं को देने की सिफारिश की गई है। इसमें निजी पुनर्विक्रय बाजार से जुड़ी समानता और संपन्नता-आधारित पहुंच की बाधाओं को दूर करने के कदम उठाने तथा पारदर्शिता और जानकारी तक पहुंच बेहतर करने

के लिए राज्यव्यापी सार्वजनिक लाइसेंस डेटा मंच बनाने की भी मांग की गई है।

जारी बयान में कई स्थानीय अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों ने निष्कर्षों का समर्थन किया। Holyoke के मेयर Joshua A. Garcia ने कहा कि वह अधिक स्थानीय नियंत्रण, पारदर्शिता और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं को ऐसे फैसले लेने के लिए लचीलापन चाहिए जिनका उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। Fitchburg की मेयर Sam Squailia ने कहा कि शराब लाइसेंस तक पहुंच यह तय कर सकती है कि कोई रेस्तरां या आतिथ्य कारोबार खुल पाएगा, विस्तार करेगा या किसी समुदाय में निवेश कर पाएगा या नहीं—खासकर उन Gateway Cities में जो अपने शहर के केंद्रों के कारोबारी इलाकों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

Sutton से रिपब्लिकन राज्य प्रतिनिधि Joseph McKenna ने कहा कि वह बार-बार यह दलील देते रहे हैं कि मौजूदा कोटा प्रणाली रेस्तरां उद्योग में निजी निवेश को हतोत्साहित करती है और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने सुधार को दोनों दलों और विधायिका के दोनों सदनों का प्रयास बताया और कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है।

North Attleborough टाउन काउंसिलर Dan Donovan ने कहा कि पुरानी आबादी-आधारित गणना से बंधे रहने के बजाय नगरपालिकाओं को स्थानीय आर्थिक जरूरतों के अनुरूप प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक लचीलापन मिलना चाहिए। Malden में Idle Hands Craft Ales के संस्थापक और अध्यक्ष Christopher Tkach ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था अक्सर पैसे और संपर्कों को तरजीह देती है, जबकि पहली बार रेस्तरां शुरू करने वाले उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए लाइसेंस पाना कठिन बनाती है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब मैसाचुसेट्स में इस बात पर बहस जारी है कि शराब लाइसेंसिंग पर शहरों और कस्बों का कितना नियंत्रण होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के तहत, राज्य कोटे के दायरे में रहने वाले समुदायों को अक्सर तय सीमा से अधिक लाइसेंस पाने के लिए विधायिका के समक्ष होम रूल याचिका दायर करनी पड़ती है। राज्य लेखा परीक्षक के कार्यालय ने कहा कि इस प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंड और पारदर्शी रिकॉर्ड नहीं हैं, जिससे नतीजों का अनुमान लगाना और उन पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है।

रिपोर्ट का तर्क है कि दशकों पहले कोटा प्रणाली से बाहर निकल पाने की स्थिति के आधार पर स्थानीय सरकारों पर अलग-अलग नियम लागू करके मैसाचुसेट्स ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो आज की आर्थिक स्थितियों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी नहीं है। तेजी से बढ़ते समुदायों को नए रेस्तरां या बार खोलने के लिए लाइसेंस की कड़ी सीमा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि स्थानीय नियंत्रण वाले शहर मौजूदा नीतिगत जरूरतों के आधार पर लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

पूरी रिपोर्ट मंगलवार को राज्य लेखा परीक्षक के कार्यालय ने सार्वजनिक की। राज्यव्यापी कोटा प्रणाली में बदलाव के लिए विधायकों को कदम उठाने होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट से उस सुधार मुहिम को आधिकारिक समर्थन मिला है जो कुछ नगरपालिका नेताओं, विधायकों और आतिथ्य कारोबारों के बीच जोर पकड़ रही है।